


ऋण का मुगदान नहीं किये जाने, तत्पश्चात् प्रार्थी बैंक द्वारा बकाया मांग राशि को प्रकृति हेतु नियमों के परिप्रेक्ष्य में समुचित कार्यवाही करने के पश्चात् भी मांग राशि का मुगदान अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किये जाने पर प्रार्थी बैंक द्वारा जरूरी प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों का प्रतिनूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिनूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा की 14 के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा गिरवीकृत परिसम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को सुदुर्द करने की मांग की गई है। सरकारी दफ्तर के तहत जिला मजिस्ट्रेट की संतुष्टि उपरान्त जमानत स्वरूप बंधक रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक को कब्जे में दिलवाने में सहयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा सनसत विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति की गई है।

अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिनूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिनूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। ऋण की अदायगी हेतु अप्रार्थीगण ने श्री धर्म सिंह मीणा की ग्राम पंचायत शक्रीपुरा पंचायत समिति बामनवास जिला गंगपुर सिटी में स्थित सम्पत्ति पट्टा नं. 17 जिसका कुल क्षेत्रफल 133.33 वर्गज है, पर शांति पूर्वक मौके पर भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा अधिकृत व्यक्ति को दिलवाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक, गंगपुर सिटी को आदेशित किया जाता है। प्रार्थी बैंक इस बाबत पुलिस अधीक्षक, गंगपुर सिटी से सम्पर्क कर प्रार्थी बैंक में गिरवीकृत सम्पत्ति को अपने अधिकार में लेने की कार्यवाही करे। तहसीलदार, बामनवास को भौतिक कब्जा हस्तांतरण के दौरान की अवधि के लिए मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे तत्समय कानून व्यवस्था सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, गंगपुर सिटी व तहसीलदार, बामनवास को भिजवायी जावे। सरकारी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को सुनने का प्रावधान नहीं है, किन्तु प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय की प्रति अप्रार्थीगण को भी भिजवायी जावे जिससे वह ऋणदाता से सम्पर्क स्थापित कर ऋण चुकता कर प्रकरण का निस्तारण करा सके। इसी क्रम में अप्रार्थीगण को इस आदेश से असंतुष्ट होने की दशा में सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु एक माह की अवधि प्रदान की जाती है जिसके पश्चात् यह निर्णय प्रभावी हो जावेगा व प्रार्थी बैंक द्वारा अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




20/9/24
(डॉ. गौरव सैनी)
जिला मजिस्ट्रेट
गंगपुर सिटी
जिला कलेक्टर
गंगपुर सिटी (राज्य)